तारः "भूमि बैंक"

Tel. : "BHUMIBANK"
दूरभाष : ई.पी.ए.बी.एक्स 2238840
Phones : 2238842,
2239805,3056381
फैक्स : 0522 2239806
E. Mail : ldb@up.nie.in

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र संख्याःसी- 36 /तकनीकी प्रको0/2019-20, दिनांकः 16-08-2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन-ई.डी.ई.जी. घटक'' के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन योजना जारी रखने के संबंध में।**

नाबार्ड ने अपने पत्र संख्या रा.बै.पु.वि./जी.एस.एस./942/एन.एल.एम-1/2019-20,दि0 27.06.19 (परिपत्र संख्या 205/पु.वि.-58/2019) संलग्नक द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान उपर्युक्त योजना को प्रधान कार्यालय द्वारा पूर्व में **संदर्भित योजना से संबंधित परिपत्र संख्या सी-69/तक0प्रको0/2016-17,दि0 12.09.16 में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।**

1. वर्ष 2019-20 के लिए कुल रू0 199.89 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसका राज्यवार श्रेणीवार आवंटन संलग्नक-1 में उल्लिखित है। इस योजना को, मूल्यांकन/योजना के अनुमोदन लंबित रहते हुए, 12वी पंचवर्षिय योजना अवधि से आगे विस्तार दिया गया है। 12वीं योजना के लिए अनुमोदित इस योजना की प्रकृति, संभावना और व्याप्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके विस्तृत परिचालानात्मक दिशानिर्देश www.dahd.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन(ई0डी0ई0जी0) के अधीन नाबार्डएजेन्सी होगी। इसमें पोल्ट्री, बेंचर,कैपिटल फण्ड(पी0बी0सी0एफ0) छोटे रूमेन्थक और खरगोश समन्वित विकास (आई0डी0एस0आर0आर0), सूअर विकास (पी0डी0) भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण(एस0एम0बी0सी0) शामिल है,

3. लाभार्थी बैंक के नियमानुसार कृषक, उद्यमी व्यक्ति, पात्र होंगे।

4. शाखाओं द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद प्रधान कार्यालय को 15 दिनों के भीतर प्रधान कार्यालय की मेल आई.डी. techcell.upsgvb@gmail.com पर निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार जानकारी अपलोड करेंगे। अपलोड करने और वेलिडेशन के बाद शाखा ऋण की पूरी राशि/पहली किश्त जैसा मामला हो जारी करेगी। इसके बाद ऋण की राशि ईकाई के अनुसार उचित किश्तों में वितरित की जाएगी। अपूर्ण जानकारी या अन्य किसी कारणवश रद्द किए गए आवेदनों को आवश्यक सुधार करने के बाद निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत नए सिरे से बैंक की मेल आई.डी. पर फिर से अपलोड किया जा सकता है।

5. आधार विवरण प्रस्तुत करनाः-शाखाओं द्वारा ऋणी सदस्यों का आधार पत्र संख्या (12 नंबर) एन.एल.एम. पोर्टल के टेम्पलेट में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. परियोजना स्वीकृति समिति(पी0एस0सी0) नाबार्ड, प्रधान कार्यालय में गठित परियोजना स्वीकृति समिति (पी0एस0सी0) संबंधित वित्त पोषक बैंक/संस्थाओं द्वारा पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर पात्र आवेदकों के सब्सिडी के मामले अनुमोदित करेगी।

7. सब्सिडी जारी करनाः- राज्यों को श्रेणीवार आवंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

4) राज्यों को श्रेणी-वार आबंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी।

8. सब्सिडी का समायोजनः- वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था अपने बही खातों से सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में उधारकर्ता वार सब्सिडी राशि रखेगें और नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त होने के बाद सात दिन के भीतर लाभार्थी के सब्सिडी

आरक्षित निधि खाते में सब्सिडी की राशि का समायोजन करेंगे अन्यथा वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था को लाभार्थी से लिए गए अतिरिक्त ब्याज की क्षतिपूर्ति करनी होगी वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था के नियंत्रक कार्यालय इस आशय का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने लाभार्थी संबंधी विस्तृत जानकारी सहित लाभार्थी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते (एसआरएएफ) में सब्सिडी राशि जमा की है सब्सिडी प्राप्त होने के 05 दिन के भीतर शाखाओं द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रधान कार्यालय की मेल आई.डी. पर नियमानुसार अपलोड करना होगा।

9. चुकौती अवधि/अनुग्रह अवधिः-

ईडीईजी घटक	चुकौती अवधि	ग्रेसपीरियड
पोल्ट्री बेंचर पूँजी निधि(पीवीसीएफ)	5 से 9 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष
छोटे रूमेन्थक और खरगोश संबंधी विकास (आईडीएसआरआर)	अधिकतम 9 वर्ष	2 वर्ष
सूअर विकास (पीडी)	5 से 6 वर्ष	1 वर्ष
भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण(एसएमबीसी)	4 से 6 वर्ष	1 वर्ष

10. परियोजना पूर्ण करने की समयसीमा परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किस्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 09 महीने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी।

11. सब्सिडी के लिए लॉक इन पीरियेडः- सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में उधारकर्ता वार रखी गयी सब्सिडी राशि का 3 वर्ष की अवधि के बाद उधारकर्ता के खाते में समायोजित की जा सकती है और अनर्जक आस्ति खाते (एनपीए) के बनने पर इसे लौटाया जाएगा।

12. मार्जिन मनी नियमानुसार शाखा द्वारा ली जायेगी।

13. सहायता प्रदान करने में वरीयताः- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनज़ाति, छोटे सीमान्त और देश के सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाको के किसानों सहित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले किसानों की श्रेणी में आने वाले लाभार्थीयों को वरीयता दी जा सकती है।

14. अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग-स्थापित की गई इकाइयों का नमूना आधार पर अनुप्रवर्तन नाबार्ड करेगा और प्रमुख टिप्पणियॉ परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्य नियम व शर्तें बैंक के पूर्व प्रेषित परिपत्र के अनुसार ही रहेंगी समयावधि अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(अन्द्रा वामसी)
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>-

1- समस्त शाखा/वरिष्ठ उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।

2- उप महाप्रबन्धक/(प्राचार्य), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।

3- प्रबन्धक (आई0टी0 सेल) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को बैंक की ई0-मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

15/8/19

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)